

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 13.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Samir Oraon** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 756 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	DEVANSHU KUMAR ORAON	SH. PRADEEP KUMAR ORAON MOB- 8809918017	5	HABIBPUR SAHIBGANJ
2	KHUSHI RAY	SH. SANJEEV KUMAR RAY MOB- 9102835562	4	CHAKRADHARPUR
3	UJJWAL ANAND TOPPO	SH. PAHNA TOPPO MOB- 9431354757	6	DIPATOLI <i>Ranchi</i>
4	NAUSH AAFARIN	SH. MERAJ MIRDAHA MOB- 8939648181	1	HINOO (1ST SHIFT)
5	PRATIK KUMAR MAHTO	SH. PANKAJ KUMAR MAHTO MOB- 9572727575	1	GODDA
6	DIVYAKSHI SINGH	SH. SHARDENDRA NARAYAN SINGH MOB- 9798146877	8	NO.1 HEC RANCHI
7	SOUMAYA	SH. PANKAJ KUMAR MOB- 8210579930	7	CRPF DHURWA <i>Ranchi</i>
8	NISHANT SHEKHAR	SH. SATYENDRA KUMAR JHA MOB- 8986799069	9	NAMKUM <i>Ranchi</i>
9	AASTHA KUMARI	SH. ABHINANDAN KUMAR SINGH MOB- 8409167201	1	NO.1 HEC <i>Ranchi</i>
10	AYUSH RAJ	SH. SUBODH KUMAR MOB- 9430173209	1	HINOO (1ST SHIFT)

पिया ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

प्रिया ठाकुर
13/8/20

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Samir Oraon माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, **RANCHI** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)